न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 06/2018 नामान्तरकरण अपील

1. धर्मी पुत्र रामजीलाल
2. बबलू पुत्र रामजीलाल
3. मुकेश पुत्र रामजीलाल
4. हरप्यारी पत्नि रामजीलाल

} समस्त जाति मीना निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बेलबाई पत्नि रंगली
2. पुष्पा पुत्री रंगली
3. किशोरया पुत्र रामहेत
4. नारायणी पत्नि रामफूल

} समस्त जाति मीना निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 461 दिनांक 20.06.2000 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सिकराय जिला दौसा)

उपस्थिति :– 1 :श्री योगेश जाखड़ अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित ।
2: श्री मिट्ठनलाल गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक: 22.03.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सिकराय में आराजी खसरा नम्बर खाता संख्या 29, 30 एवं खाता संख्या 181 तथा ग्राम घूमण्या की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 48, 49 स्थित है। अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 लगा. 4 एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलान्ट्स के पिता रामजीलाल के भाई बद्री की ब्याहता पत्नि रेस्पोडेन्ट स. 1 बेलबाई थी। बद्री के देहान्त हो जाने के पश्चात् बेलबाई ने अपीलान्ट्स के पिता रामजीलाल के अन्य भाई रंगली पुत्र रामहेत से नाता प्रथा से विवाह कर लिया। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बेलबाई ने बद्री की विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण बद्री की बेवा बनकर अपने नाम खुलवा लिया तथा रंगली की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 बेलबाई ने ही रंगली की बेवा

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनकर रंगली की विरासत का नामान्तरकरण स्वयं के नाम खुलवा लिया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बेलबाई ने एक ओर तो बद्री की वारिस बनकर उसकी विरासत का नामान्तरकरण अपने हक में खुलवा लिया और दूसरी ओर रंगली की वारिस बनकर रंगली की मृत्यू के पश्चात् उसकी विरासत का नामान्तरकरण अपने हक में पोशीदा रूप में खुलवा लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने नामान्तरकरण संख्या 461 दिनांक 20.06.2000 के विरूद्ध अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामा. अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 4 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बगैर व बद्री के वारिसानों की जांच किये बगैर ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में बद्री की विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 बेलबाई बद्री की मृत्यू के पश्चात् रंगली के नाता प्रथा अनुसार नाता बैठ गई अर्थात् रंगली की पत्नि हो गई। रंगली की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 बेलबाई ने रंगली की विरासत का नामान्तरकरण भी स्वयं के नाम गुपचुप में पोशीदा रूप में अपने हक में खुलवा लिया। बेलबाई के रंगली के नाते बैठ जाने व उसकी पत्नि हो जाने के कारण बद्री की विरासत से कोई वास्ता नहीं रह गया था किन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 बेलबाई बहुत ही चालाक किस्म की औरत है जो कि एक ओर तो बद्री की वारिस बनकर बद्री की विरासत का नामान्तरकरण अपने हक में खुलवा रही है और दुसरी ओर रंगली की वारिस बनकर रंगली की विरासत का नामान्तरकरण अपने हक में खुलवा रही है। ये दोनो की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट सं. 1 की फर्जकारी की तारीफ में आती है। उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने का अधिकार ग्राम पंचायत का होता है किन्तु प्रकरण में नामान्तरकरण सीधे ही तहसीलदार सिकराय से खुलवाया गया है। जो कि विधि अनुकूल नहीं होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स का बद्री के जीवनकाल से ही कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा बद्री की मृत्य के पश्चात् रंगली से नाता प्रथा से विवाह कर लेने के कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के बद्री की विरासत के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके थे। किन्तु तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना तथ्यों की जांच किये बिना ही खोला गया है। अतः नामान्तरकरण संख्या 461 दिनांक 20.6.2000 को निरस्त फरमाने जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 ने निवेदन किया कि नामा. संख्या 461 दिनांक 20.6.2000 को खुले हुए लगभग 21 वर्ष हो गये है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बेलबाई के हक में खोले गये विरासत का नामान्तरकरण बेलबाई का जायज हक होने के कारण खोला गया था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 बेलबाई ने रंगली से विवाह बद्री के लाऔलाद फौत हो जाने के पश्चात् किया है। इसलिये रंगली की विरासत में भी बेलबाई का कानूनी रूप से हक बनता है। इसलिये रंगली की विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम खोला गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली प्रकार से अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 बेलबाई के हक में खोला गया नामा. सं. 461 दिनांक 20.06.2000 कानूनन सही है। हकों के लिये अपीलान्ट्स को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर चाराजोरी करनी चाहिए थी। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। नामान्तरकरण से किसी के हक अधिकार तय नहीं होते है। अधिकार तो सक्षम न्यायालय द्वारा तय किये जाते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। तहसीलदार सिकराय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण सं. 461 दिनांक 20.6.2000 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official